भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 1436
गुरुवार, 13 फ़रवरी, 2025/24 माघ, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

संतुलित और सुलभ विमानन पारिस्थितिकी तंत्र

1436. श्री के. सुधाकरनः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विमानन उद्योग के विकास, विनियमन और सुगमीकरण विशेषकर देश के लिए संतुलित और सुलभ विमानन पारिस्थितिकी तंत्र का विकास सुनिश्चित करने में सरकार की क्या परिभाषित भूमिका है;

(ख) विमानन क्षेत्र में एक प्रमुख हितधारक के रूप में सरकार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आम जनता के समक्ष आ रहे महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे व्यस्ततम यात्राकाल के दौरान विमान किराए में बार-बार और अत्यधिक वृद्धि जैसे मुद्दों का समाधान करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार अत्यधिक मूल्य वृद्धि, अल्पसेवित क्षेत्रों से अपर्याप्त कनेक्टीविटी और अन्य जन सरोकारों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर एयरलाइन कंपनियों के साथ संवाद / बातचीत करती है और यदि हां, तो इन चर्चाओं के परिणामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त चर्चाओं के परिणामों को समाज के सभी वर्गों के लिए हवाई यात्रा हेतु वहनीयता और समान पहुंच सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ किस प्रकार संरेखित किया गया है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 का उद्देश्य आम जनता के लिए उड़ान को किफायती बनाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है और साथ ही हवाई यात्रियों के लिए सुरक्षित, किफायती और संधारणीय यात्रा सुनिश्चित करना तथा भारत और विश्व के विभिन्न भागों तक कार्गो के परिवहन की सुविधा प्रदान करना है।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), अन्य बातों के साथ-साथ, निर्धारित नियमों और नागर विमानन अपेक्षाओं के अनुसार अनुमोदन, प्रमाणन और लाइसेंस जारी करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों और राष्ट्रीय अपेक्षाओं के अनुरूप हैं।

भारतीय विमानन उद्योग की जटिल गतिशीलता को देखते हुए, सरकार इस क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सक्षमकारी वातावरण का सृजन करके एक सुविधाप्रदाता की भूमिका निभा रही है।

एयरलाइनों के साथ नियमित परामर्श किया जाता है तथा एयरलाइनों को हवाई किराया निर्धारित करते समय संतुलन/स्व-विनियमन बरतने तथा यात्रियों के हितों को ध्यान में रखने के लिए

जागरूक किया जाता है। जैसे-जैसे त्योहार के दिन नजदीक आ रहे हैं, विशेष रूप से आगामी महाकुंभ और अन्य महत्वपूर्ण शाही स्नानों के दौरान, एयरलाइनों ने हवाई किराए पर दबाव कम करने के लिए क्षमता बढ़ाने के लिए और कदम उठाए हैं।

एयरलाइनों ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता दर्शाई है कि प्राकृतिक आपदाओं, विपदाओं, महामारी, महाकुंभ आदि जैसी घटनाओं के दौरान हवाई किराए में बढ़ोतरी न हो।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एक टैरिफ निगरानी इकाई (टीएमयू) की स्थापना की है, जो प्रत्येक महीने एयरलाइन की वेबसाइट का उपयोग करके यादृच्छिक आधार पर चयनित घरेलू क्षेत्रों में हवाई किराए की निगरानी करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरलाइनें उनके द्वारा घोषित सीमा से अधिक हवाई किराया न वसूलें।

वायुयान नियम, 1937 के नियम 135 (2) के अनुसार एयरलाइनों को अपनी-अपनी वेबसाइट पर स्थापित टैरिफ को 'एकल समेकित किराया' के साथ प्रदर्शित करना होगा तथा उपभोक्ताओं के लाभ के लिए इसका पूरा ब्यौरा भी देना होगा।

एयरलाइनों की वेबसाइट के होम पेज पर प्रमुख स्थान पर एयरलाइनों द्वारा टैरिफ शीट प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

सरकार द्वारा हवाई किरायों को विनियमित नहीं किया जाता है और एयरलाइनों को वायुयान नियम, 1937 के नियम 135 का अनुपालन करते हुए अपनी प्रचालन आवश्यकताओं के आधार पर हवाई किराए का निर्धारण करने की छूट है। तथापि सरकार साधारणतः बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए हवाई किराए को विनियमित करने से बचती है, फिर भी वह सतर्क रहती है, और यात्रियों की सुविधा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक मूल्य निर्धारण को रोकने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्षमता स्थानांतरित करने हेतु हस्तक्षेप करती है।

इसके अलावा, यह भी उल्लेख किया गया है कि अतिरिक्त विमानों को बेड़ों में शामिल करके क्षमता में वृद्धि, मौजूदा हवाईअड्डों का आधुनिकीकरण और नए हवाईअड्डों के विकास से आम जनता के लिए हवाई यात्रा अधिक सुलभ हो गई है। इस विस्तार के परिणामस्वरूप घरेलू हवाई यातायात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसका प्रमाण वित्त वर्ष 2014-15 में 70 मिलियन से वित्त वर्ष 2023-24 में 153 मिलियन तक यात्रियों की संख्या में वृद्धि है। इसके अलावा, चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, दिसंबर तक घरेलू यात्री यातायात 122.2 मिलियन तक पहुंच गया है, जिसने वित्त वर्ष 2023-24 के 114.53 मिलियन के आंकड़े को पार कर दिया है, जो 6.7% की प्रभावशाली वृद्धि दर दर्शाती है।

क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) - उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) की परिकल्पना राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी) 2016 में की गई थी। इस योजना में मौजूदा हवाई पट्टियों और हवाईअड्डों के पुनरुद्धार के माध्यम से देश के असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों को संपर्क प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इस नीति के अनुसरण में, सरकार हवाई यात्रा को किफायती, सुविधाजनक बनाकर आम जनता तक पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठा रही है, साथ ही यात्रियों के लिए सुरक्षित, संरक्षित, वहनीय और संधारणीय हवाई यात्रा के साथ-साथ भारत और विश्व के विभिन्न भागों में कार्गो का हवाई परिवहन उपलब्ध करा रही है और एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित कर रही है, जिससे नागर विमानन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, रोजगार में वृद्धि हो रही है और देश भर में संतुलित क्षेत्रीय विकास हो रहा है।

*****